

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक-एफ-73-12/20-5/2002

भोपाल, दिनांक

प्रति,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल
प्रीत बिहार, नई दिल्ली.

विषय:- अशासकीय आईडियल पब्लिक स्कूल वारासिवनी बालाघाट को के
माध्यमिक शिक्षा मंडल, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्र
बाबत ।

राज्य शासन द्वारा अशासकीय आईडियल पब्लिक स्कूल वारासिव
को कक्षा । से 8 वीं तक सी.बी.एस्.ई. पाठ्यक्रम हेतु केन्द्रीय माध्यमिक
नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र छात्र हित को दृष्टिगत र
विशेष प्रकरण मानकर नियमों में छूट देते हुये निम्नलिखित शर्तों पर दिया ज

- 1/ संस्था की अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अ
को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा
प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मंडल के पंजीयक परीक्षा क
उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य होगा ।
- 2/ नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित कर
अनिवार्य होगा ।
- 3/ म.प्र.शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिये, लिये गये निर्ण
यदि संस्था के किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे का
संस्था को करना अनिवार्य होगा ।
- 4/ खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर स
परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग
उनके किसी खेल परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो,
कराना अनिवार्य होगा ।

- 5/ राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संपादित करने के लिये, यदि संस्था का भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी, तो उन्हें उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

॥ ए.के. जैन ॥

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

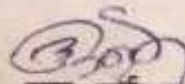
पू0कु0-एफ-73-12/20-5/2002

भोपाल, दिनांक 17.5.2002

प्रतिलिपि:- आयुक्त लोक शिक्षण बिलासपुर ।

- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर ।

- 3/ प्राचार्य, आईडियल पब्लिक स्कूल वारासिवनी बिलासपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है ।


उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

७३